



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062022-236741
CG-DL-E-22062022-236741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2022/आषाढ़ 1, 1944

No. 445]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2022/ASADHA 1, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

सा.का.नि. 466(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक काडर, समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 में,-

(अ) नियम 8 के उपनियम (1) के सामने, "सत्तावन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "साठ वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

(आ) अनुसूची में,-

(क) निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"35*(2022)

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";

- (ख) उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "89*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (ग) सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "92*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (घ) हेड कांस्टेबल (चालक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "875*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (ङ.) कांस्टेबल (चालक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "2600*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (च) निरीक्षक(मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "32*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (छ) उप-निरीक्षक(मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "130*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (ज) सहायक उप-निरीक्षक(मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "140*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (झ) हेड कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "295*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";
- (ञ) कांस्टेबल (मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
 "308*(2022)
 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है";

[फा. सं.1-12022/06/2021-संगठन]

पी. वेणुकुट्टन नायर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि.सं. 475(अ) तारीख 11/07/2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2022

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by clause(b) of sub section(2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group ‘B’ and ‘C’ posts Recruitment Rules, 2013 namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic Cadre, Group ‘B’ and ‘C’ posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Motor Transport and Motor Mechanic cadre, Group “B” and “C” posts Recruitment Rules, 2013,-

(A) against 8, in-sub-rule(i), for the words “fifty seven years”, the words “sixty years” shall be substituted.

(B) in the schedule,-

(a) against serial number 1, relating to the post of Inspector (Motor Transport), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“35* (2022)

* Subject to variation dependent on workload.” ;

(b) against serial number 2, relating to the post of Sub-Inspector (Motor Transport), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“89* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

(c) against serial number 3, relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Motor Transport), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“92* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

(d) against serial number 4, relating to the post of Head Constable (Driver), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“875* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

(e) against serial number 5, relating to the post of Constable (Driver), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“2600* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

(f) against serial number 6, relating to the post of Inspector (Motor Mechanic), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“32* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

(g) against serial number 7, relating to the post of Sub-Inspector (Motor Mechanic), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-

“130* (2022)

* Subject to variation dependent on work load.” ;

- (h) against serial number 8, relating to the post of Assistant Sub-Inspector (Motor Mechanic), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-
“140* (2022)
* Subject to variation dependent on work load.” ;
- (i) against serial number 9, relating to the post of Head Constable (Motor Mechanic), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-
“295* (2022)
* Subject to variation dependent on work load.” ;
- (j) against serial number 10, relating to the post of Constable (Motor Mechanic), in column 2, for the entries, the following shall be substituted, namely:-
“308* (2022)
* Subject to variation dependent on work load.” ;

[F. No. I. 12022/06/2021-Org.]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 475(E) dated 11-07-2013.